आपेशन ब्लैक बोर्ड के अधीन मध्य प्रदेश को अनुदान

4086. **श्री अजीत जोगी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपेशन ब्लैक बोर्ड के अधीन राज्यों को उन स्कूलों के भवन निर्माण के लिये अनुदान दिये जा रहे हैं, जिन स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार भवन-विहीन हजारों स्कूलों को, भवन निर्माण के लिये अपर्याप्त योजनाओं और उपबन्धों के अतिरिक्त और क्या सहायता अनुदान देने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० साही) : (क) से (ग) प्राथमिक स्कूलों के निर्माण के लिये आपेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अन्तर्गत अलग से कोई राशि प्रदान नहीं की जा रही है ।

इस योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (एन० आर०ई०पी०) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर०एल० ई०जी०पी०) के अन्तर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उपलब्ध कोष से उच्च प्राथमिकता के साथ शुरू किया जायेगा । यह निर्णय ग्रामीण विकास विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इस योजना पर पुस्तिका में भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को स्कूल भवनों के निर्माण हेतु, और अन्य कार्यक्रमों के अधीन जैसे कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना, आदिवासी उप-योजनायें आदि के लिये आठवें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त कोषों को उपयोग करने की सलाह दी गई है । राज्यों, जहां तक संभव हो, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री तथा कम लागत की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके निर्माण लागत को न्यूनतम करने के लिये प्रयास करने के लिये कहा गया है ।

Death of a lady resident doctor in Medical College Hospital Udaipur

4087. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of HEALTH AND A-MILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it has come to Govern ment's notice that, resident doctors and others in Udaiptir and Ajmer in Rajasthan went on indefinite strike from the 1st August, 1988 due to the death of a lady resident doctor on the night of July 30-31, 1988 in Medical College Hospital, Udaipur due to the negligence of the .doctors to give timely treatment for drug reaction and to make life saving instrument avail able; and

(b) if so, what are the details in this regard and the action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPAR-DE). (a) and (bj. As ascertained from the Government of Rajasthan, the Resident Doctors of Udaipur went on indefinite strike alleging negligence in the treatment of lady Resident Doctor who died in Medical College Hospital in the morning of 31st July 1988. However, a High Powered Enquiry Committee constituted by the Principal, Medical College, Udaipur came to the conclusion that there was no negligence on the part of the senior doctors in the treatment of patient Dr. (Mrs.) Raj Krnnari. The patient was attended to by the Assistant Professor on duty in the Emergency and the CMO. Later, when she was shifted to indoor ward, she was attended by Assistant Professor Dr. Girish Verma The doctor on call duty in the Emergency Assistant Professor of the Unit, Dr. Laksh-man Bhatnagar and the Unit Head Dr H.N.S. Bhatnagar also attended tie patient on receiving the call. However, it has been